

राज्य शिक्षा केन्द्र
विधि
साखा स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश
विषय डब्ल्यू.पी. 658/2016 द्वारा श्री देवेश सिंह भदोरिया पृष्ठ क्रमांक 01...
नस्ती क्र. वि.प्र./2016/25

विषय: न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू.पी. 658 / 2016 द्वारा श्री देवेश सिंह भदोरिया विरुद्ध म.प्र. शासन एवं अन्य में ओ.आई.सी. की नियुक्त करने के संबंध में।

विषयांतर्गत माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर से प्राप्त याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 658/2016 द्वारा श्री देवेश सिंह भदोरिया विरुद्ध म.प्र. शासन (संलग्न) का अवलोकन हो। याचिका जिला शिक्षा केन्द्र, जिला भिण्ड से संबंधित है। प्रकरण जिला परियोजना समन्वयक, भिण्ड को ओ.आई.सी. बनाया जाना उचित है। अतः ओ.आई.सी. आदेश नस्ती में नीचे रखकर हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत।
पुनः 201 CAC से संबंधित है।

JD(P)

8-3-16

(देवेश सिंह भदोरिया)
संयुक्त संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र, भिण्ड

Amr (2-2)

Amr (2-2)

विधि

S. Dahim
09/03
(श्रीला दाहिना)
अपर निराम संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र
दीप्ति गौड़ मुकुर्जी
आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र
10/03

33/2016/सर्वता-विधि/न्याया/2016/100-91 दिनांक 14-3-16

राज्य शिक्षा केन्द्र
साखा . विधि... स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश
विषय W.P. 658/2016 द्वारा श्री देवेश सिंह भदोरिया पृष्ठ क्रमांक 02...
नस्ती क्र. वि.प्र./2016/25

पूर्व पृष्ठ N/1 पर अनुमोदन अनुसार 01/02/2016 को जारी किया गया। प्रतिरक्षण आदेश हेतु नस्ती क्र. वि.प्र./2016/25 को निहित करना चाहेगा।

JD(P) contour

AMD(CSD)

अनुमोदन

विधि-विभाग

14-3-16

S. Dahim
14/03

(श्रीला दाहिना)
अपर निराम संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र
दीप्ति गौड़ मुकुर्जी
आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र

8961

0

राज्य शिक्षा केन्द्र

शाखा ... वि. वि.

स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश

पृष्ठ क्रमांक ... ९१

विषय ... P.P. 658/2016 बाराही देवश मिह भद्रा

नस्ती क्र.

0

राज्य शिक्षा केन्द्र

शाखा

स्कूल शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश

पृष्ठ क्रमांक

विषय

नस्ती क्र.

**IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : Bench at
Gwalior**

Process Id: 4489/2016

WP/658/2016

From

Deputy Registrar,
High Court of MP
Bench at Gwalior

FOR ADMISSION
Fixed for 15-03-2016
DA- 08
Respondent No. 2
RAD



Handwritten notes:
महल CAC नोट
QIC
Dipe Mis

Gwalior 10-02-2016

To,

The Commissioner,
Rajya Shiksha Kendra Bhopal,
District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Sub: Notice to Respondent No. 2 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. **WP/ 658/ 2016**

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Devesh Singh Bhadoriya** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/658/2016**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **15-03-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court)
Encl: Copy of Petition



AFFIXED AT GWALIOR

Your faithfully

Signature
SECTION OFFICER
Section Officer
High Court Of Madhya Pradesh
Bench Gwalior

(15)

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF M.P. BENCH
AT GWALIOR

Writ Petition No. 658 /2016

CAUSE TITLE

PETITIONER: Devesh Singh Bhadoriya

Versus

RESPONDENTS: The State of M.P. and others

LIST OF EVENTS

S.No.	Particular
1-	Petitioner who is holding the post of Jan Shikshak, is aggrieved by the order dated 30-10-2015 issued by the respondent no. 2 for the purpose of appointment/posting on the post of Jan Shikshak and Block Academic Coordinator in the state of M.P.
2-	It is submitted that the order annexure P/1 dated 30-10-2015 wherein the eligibility prescribed for appointment of Jan Shikshak are clearly and contrary to Madhya Pradesh Jan Shiksha Niyam 2003 as in the rules 2003 there was amendment dated 23-06-2010 and according to said amendment at least 5 year teaching experience is required but in the order annexure P/1 no such condition for experience is provided and apart from that under the act the Jan Shikshak, teachers and Ahyapak are entitle to appointment on the post of Jan Shikshak but in the order annexure P/1 entitlement has been provided only to the Upper Division Teacher/Adhyapak which is also contrary to rules and this fact has also been consider by this Hon'ble Court in the case of Rajmal Rathore and other V/s State of M.P. and others reported in ILR (2011) M.P. 1164, wherein the Hon'ble Court has held that the executive instruction cannot override the statutory rules because earlier also the respondent by issuing the executive instruction only makes entitle to the Upper Division Teacher/Adhyapak and Hon'ble Court while deciding the aforesaid case categorically held that the Asst. Teacher/Sahayak Adhyapak are also entitle to selection on the post of Jan Shikshak.

Date: /01/2016
Gwalior

Humble Petitioner
through Counsel

(Nitin Agarwal)
(O.P. Meena)

(16)

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF M.P. BENCH
AT GWALIOR

Writ Petition No. /2016

CAUSE TITLE

PETITIONER: Devesh Singh Bhadoriya

Versus

RESPONDENTS: The State of M.P. and others

INDEX

S.No.	Particulars	Annexure No.	Page No.
1-	Writ Petition		1-12
2-	Affidavit		13
3-	List of Documents		14
4-	Copy of Order	P-1	15-20
5-	Copy of appointment	P-2	21
6-	Copy of rule	P-3	22-49
7-	Copy of amendment	P-4	50-54
8-	Copy of order	P-5	55-56
9-	Power		57

Date: /01/2016
Gwalior

Humble Petitioner
through Counsel

(Nitin Agarwal)
(O.P. Meena)
Advocates

(1)

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF M.P. BENCH
AT GWALIOR

Writ Petition No. /2016

CAUSE TITLE

PETITIONER:

Devesh singh Bhadoriya D/o Shri
Seeta Ram Singh Bhadoriya,
Age-43 years, Occupation-
Service, Posted as CAC in Jan
Shiksha Kendra, Govt. Middle
School Mragpura Block Ater
Distt. Bhind (M.P.)

VERSUS

RESPONDENTS:

- 1- The State of M.P. through its
Principal Secretary, Department
of School Education, Vallabh
Bhavan, Bhopal (M.P.)
- 2- The Commissioner, Rajya
Shiksha Kendra, Bhopal
- 3- The Collector Distt. Bhind
- 4- The District Project Coordinator,
District Education Centre, Distt.
Bhind

WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226 OF THE
CONSTITUTION OF INDIA

1- PARTIUCULAR OF THE CAUSE/ORDER
AGAINST WHICH THE PETITION IS MADE:

1- DATE OF ORDERS:

2- PASSED IN

3- PASSED BY -

4- SUBJECT MATTER IN BRIEF: Petitioner

who is holding the post of Jan Shikshak, is
aggrieved by the order dated 30-10-2015
issued by the respondent no. 2 for the purpose
of appointment/posting on the post of Jan
Shikshak and Block Academic Coordinator in
the state of M.P. A copy of order dated 30-10-
2015 is annexed as Annexure P/1.

It is submitted that the order annexure
P/1 dated 30-10-2015 wherein the eligibility

(2)

prescribed for appointment of Jan Shikshak
are clearly and contrary to Madhya Pradesh
Jan Shiksha Niyam 2003 as in the rules 2003
there was amendment dated 23-06-2010 and
according to said amendment at least 5 year
teaching experience is required but in the
order annexure P/1 no such condition for
experience is provided and apart from that
under the act the Jan Shikshak, teachers and
Ahyapak are entitle to appointment on the
post of Jan Shikshak but in the order
annexure P/1 entitlement has been provided
only to the Upper Division Teacher/Adhyapak
which is also contrary to rules and this fact
has also been consider by this Hon'ble Court
in the case of Rajmal Rathore and other V/s
State of M.P. and others reported in ILR
(2011) M.P. 1164, wherein the Hon'ble Court
has held that the executive instruction cannot
override the statuary rules because earlier
also the respondent by issuing the executive
instruction only makes entitle to the Upper
Division Teacher/Adhyapak and Hon'ble Court
while deciding the aforesaid case
categorically held that the Asst.
Teacher/Sahayak Adhyapak are also entitle to
selection on the post of Jan Shikshak.

It is also submitted that under the rules
13(4) it is mentioned that the minimum
period for the post of Jan Shikshak will be for
a period of three years and further mentioned

the post till the nomination his successor but in the present impugned order annexure P/1 it has been mentioned that the maximum period of the Jan Shikshak will be four years therefore this condition also contrary the rules as in the rules no where prescribed the maximum period of the Jan Shikshak, however apart from that the age prescribed for the post of Jan Shikshak is also contrary to rules, therefore it is clear that the order annexure P/1 which contained the instruction for appointment of the Jan Shikshak are clearly runs contrary to statutory rules namely Madhya Pradesh Jan Shiksha Niyam 2003 which was led while exercising the powers provided under section 36 of the Madhya Pradesh Jan Shiksha Adhiniyam 2002, hence the order annexure P/1 is liable to be quashed.

2- PETITIONER DECLARE THAT NO PROCEEDING ON THE SAME SUBJECT MATTER HAS BEEN PREVIOUSLY INSTITUTED COURT ANY AUTHORITY OR TRIBUNAL.

3- DETAILS OF REMEDIES EXHAUSTED:

Petitioner most humbly prayed that they have no other efficacy effaceable remedy except to this petitioner in this Hon'ble Court.

4- DELAY IF ANY:

There is no delay filing of present petition.

5- FACTS IN SHORT:

The facts giving rise to the present petition are as under-

5.1 That, petitioner was initially appointed on the post of Samvidha Shala Shikshak-2 by the order dated 25-08-2006.

5.2 That, in the district Bhind the post of Jan Shikshak lying vacant which were required to be filled up by way of deputation therefore the authorities have started the selection process for nomination of Jan Shikshak and the petitioner who is entitled for hold the post of Jan Shikshak have been appointed/nominated by the competent authority after following due process as prescribed under the rule 2003. Copies of the appointment of the petitioner dated 25-10-2012 annexed as Annexure P/2.

5.3 That, with a view to translate the constitution vision of the right of every child access elementary education of quality and to provide the decentralized planning and participatory management of elementary and adult education redefining roles and creating the institutions sensitive to the needs of quality education for all, the legislature of state of Madhya Pradesh has elected a act which known as Madhya Pradesh Jan Shiksha Adhiniyam 2002 (herein after referred as act 2002).

5.4 That, the section 2(K) of the act provide the definition of teachers and according to such definition teachers means any member of the

teaching staff of a school known by any name as approved by the government and duly appointed to teach in that school.

5.5 That, the section 14 describes the Jan Shiksha Kendra and section 15 and 16 also describe the Janpad Shiksha Kendra and Jila Shiksha Kendra.

5.6 That, the section 36 of the act 2002 gives power to make the rules by notification in the official gazette for carrying out by the purpose of act and section 36(2) further makes clear that all rules made under this act shall be laid on the table of the legislative assembly and section 37 further provides the powers to remove the difficulties and such power has been given to the state government by issuing the general or specific order.

5.7 That, while exercising the rule 36, the legislature has frame the rules which known as Madhya Pradesh Jan Shiksha Niyam 2003 and rules 12 define the Jan Shiksha Kendra and thereafter the rules 13 prescribed the appointment of Jan Shikshak and according to rule 13 the Asst. Teacher, UDT and Shiksha Karmi Grade II/III (Regular) shall be consider for Jan Shikshak and age also prescribed that the recommendation for the post of Jan Shikshak should normally below 50 years and further rule 2(d) prescribed that the person proposed for the nomination for Jan Shikshak must have 5 years teaching experience in the school and rule 13(3) also prescribed the

minimum period of Jan Shikshak for a period of three years but maximum has not been prescribed, for the convenience of this Hon'ble Court rule 13 reproduced herein below:-

"13. Jan Shikshak - (1) A teacher of one of the schools of Jan Shikshak Kendra shall be designated as Jan Shikshak to act as coordinator between the schools and the Jan Shikshak Kendra, Jan Shikshak Prabhari shall send a list of name of three persons to the Janpad Shiksha Kendra. A committee comprising of the education programme officer-I Block in charge from the district institute for education and training and the Janpad Shiksha Kendra coordinator shall select one person from the list. The Janpad Shiksha Kendra coordinator shall select one person from the list. The Janpad Shiksha Kendra shall nominate the Jan Shikshak on the recommendation of the committee

(2) following points shall be considered while nominating the Jan Shikshak:-

(a) Names of Assistant Teachers, Upper Division Teachers and Shiksha Karmi Grade II or III (Regular) shall be proposed for the post of Jan Shikshak

(b) Only D.Ed. and B.Ed. trained persons shall be proposed for the nominating of the Jan Shikshak

(c) age of the person recommended for the post of Jan Shikshak should normally be below 50 years

order impugned, hence this order annexure P/1 is runs contrary to statutory rules as the respondent no. 2 has no authority to relax to aforesaid eligibility criteria.

5.13 That, it is also pertinent to mention here that the petitioner who are presently holding the post of Jan Shikshak by facing the selection process or consideration of their seniority and other things they have been deprived to the petitioner for further consideration as in the order impugned they have fixed the maximum time limit of four years on the post of Jan Shikshak though under the rules maximum period for the post of Jan Shikshak has not been prescribed, hence it is clear that the condition/eligibility which has not been prescribed under the rules, they cannot impose by way of issuing the executive instruction, as the act does not empowered to the respondent no. 2 to issue such type of directions, because in the act the specific powers has been given to the state government not to the respondent no. 2.

5.14 That, it is submitted that by putting the illegal condition by fixing the maximum period of four years on the post of Jan Shikshak, the petitioner are depriving the hold the post of Jan Shikshak in future.

5.15 That, with a view to achievement of the purpose of the act the respondent should not make the condition that the maximum four years for the post of Jan Shikshak because the rules does not barred to the petitioner for further hold the post

of Jan Shikshak even it will be beneficially to the state to achieve the object of the act to give the preference to the Jan Shikshak who were working on the said post as they will be experienced candidates.

5.16 That, law is very well settled on the point that the petitioner who were appointed on the post of Jan Shikshak cannot be replaced or removed by appointing the other candidates as a Jan Shikshak who are appointed contrary to rules.

5.17 That, in the identical circumstances the Hon'ble Court has permitted the petitioners therein to participate in the counseling of Jan-shikshak. Copy of the order passed in W.P. No. 217/2016 is annexed as Annexure P/5.

5.18 That, for the above fact it is clear that the order annexure P/1 issued by the respondent no. 2 is clearly and contrary to rules, hence the present petition is being filed by the petitioner inter alias on the following grounds-

6. GROUNDS:-

6.1 That, the order annexure P/1 dated 30-10-2015 issued by the respondent no. 2 is illegal arbitrary and contrary to the rules.

6.2 That, the eligibility criteria prescribed in the order impugned are clearly contrary to statutory rules 2003 hence the same is liable to be quashed.

6.3 That, order impugned debarring the assistant teacher/sahayak Adhyapak like petitioner for the appointment of Jan Shikshak as in the impugned order only Adhyapak/UDT are entitled

to hold the post of Jan Shikshak though in the rules 2003 the teachers can be appointed as Jan Shikshak and the scope of the definition of the

teachers has been consider by this Hon'ble Court

in the Rajmal Rathore and others (Supra), therefore this order annexure P/1 is not only contrary to rules but also contrary to law laid down by this Hon'ble Court, hence it is liable to be quashed.

6.4 That, neither under the act nor under the rules the powers are available to the respondent no. 2 to issue any instruction either which runs contrary to rules which having overriding effect on the rules, therefore this order impugned is liable to be quashed.

6.5 That, other ground shall be raised during the course of arguments.

7- RELIEF SOUGHT

In view of the facts mentioned in Para 6 above the petitioner prays that a writ of mandamus or any other suitable writ, direction may kindly be issued and following relief may kindly granted to the petitioner.

7.1 That, the order annexure P/1 dated 30-10-2015 issued by the respondent no. 2, may kindly quashed.

7.2 That, the respondent kindly directed not to remove the petitioner from the post of Jan Shikshak/CAC working in the Distt. Bhind.

7.3 That, other relief doing justice including cost be ordered.

8- INTERIM ORDER/WRIT, IF PRAYED FOR:

During pendency this petition ad interim writ kindly issued staying the effect and operation of order annexure P/1 dated 30-10-2015 passed by the respondent, in alternate the respondent also kindly directed to permit the petitioner to participate in the proceedings for the post of Jan Shikshak, in case interim relief is not granted petitioners will suffer irreparably.

9- DOCUMENTS RELIED ON BUT NOT IN POSSESSION OF THE PETITIONER:

Petitioner submits that documents relied by the petitioner which are not on record for that respondents kindly directed to produce before this Court.

10- CAVEAT:

That no notice of lodging a caveat by the opposite's party is received.

Date: /1/2016
Gwalior

Humble Petitioner
through Counsel
(Nitin Agarwal)
(O.P. Meena)
Advocates

(13)

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF M.P. BENCH
AT GWALIOR

Writ Petition No. /2016

PETITIONER: Devesh Singh Bhadoriya
VERSUS
RESPONDENTS: The State of M.P. and others

AFFIDAVIT

I Devesh Singh Bhadoriya D/o Shri Seeta Ram Singh Bhadoriya, Age-43 years, Occupation-Service, Posted as CAC in Govt. Middle School, Mragpura Block Ater Distt. Bhind (M.P.) do here by solemnly affirm and state on oath as under:

1. That, I am petitioner in the present petition, which has been drafted by my counsel under my instruction, and I have fully understood the contents thereof.
2. That, I have fully understood the facts of the case and the contents of writ petition from Para 1 to 12 has been read over to me after due translation in Hindi. I have fully understood the contents thereof.
3. That, the contents of the Para 1 to 5, 7 to 12 of the writ petition are true and correct to my personal knowledge.
4. That, contents of Para 6 the writ petition based on legal advice tendered by my counsel, which I believe to be true and correct.
5. That, the documents as content in annexure annexed with the writ petition are photocopy of the originals.

Date: /1/2016
Gwalior

Signature of Affiant

OATH

I, swear that this declaration is true, that it conceals nothing and that no part of it is false. So help me god.

AFFIRMATION

I, solemnly affirm that this declaration is true, that it conceals nothing, and that no part of it is false.

Date: /1/2016
Gwalior

Signature of Affiant

(14)

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF M.P. BENCH
AT GWALIOR

Writ Petition No. /2016

PETITIONER: Devesh Singh Bhadoriya
Versus
RESPONDENTS: The State of M.P. and others

CAUSE TITLE

LIST OF DOCUMENTS

S.No.	Particulars	Date of Document	Original /Copy	Annexure No.
1-	Copy of Order		Photocopy	P-1
2-	Copy of appointment		"	P-2
3-	Copy of rule		"	P-3
4-	Copy of amendment		"	P-4
5.	Copy of the order			P-5

Date: /1/2016
Gwalior

Humble Petitioner
through Counsel

(Nitin Agarwal)
(O.P. Meena)
Advocates

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, औरा हिल्स, भोपाल-462 011
दूरभाष : (0755) 2769390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

भोपाल, दिनांक 31/10/15

कमांक/राशिके/नियु./2015/ प्रति,

कलेक्टर
समस्त जिले (म.प्र.)

विषय:- जिलों में विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक एवं जनशिक्षक के पद पर पदस्थापना के संबंध में।

1/ राष्ट्रीय अभियान मिशन की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में प्रत्येक विकासखण्ड कार्यालय में विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक (बी.ए.सी.) के 05 पद एवं 18 शालाओं पर 01 जनशिक्षक का पद स्वीकृत था।

2/ तदनुसार विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक के 06 पदों में से 02 विज्ञान संकाय, 02 भाषा

संकाय में 04 अधिकारी रूप से अंतर्दी और 01 सामान्य विज्ञान संकाय को इस प्रकार कुल 1610 पदों पर तत्काल जनशिक्षक के पदों की पूर्ति किये जाने हेतु राज्य शिक्षा केन्द्र से समस्त जिलों को पत्र कमांक/राशिके/नियु./2011/245/2 दिनांक 6.7.2011, पत्र कमांक/राशिके/ 283 दिनांक 23.7.2011, पत्र कमांक/राशिके/नियु./2012/975 दिनांक 27.1.2012 एवं पत्र कमांक/राशिके/स्था./2012/6856 दिनांक 10.7.2012 द्वारा निर्देश जारी किये गये थे।

3/ उपरोक्तानुसार शिक्षा विभाग द्वारा पत्र कमांक एफ 1-45/2010/20-1 दिनांक 26.12.2011 के माध्यम से समस्त जिलों को अध्यापक भर्णा की सेवाये प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने हेतु जारी निर्देश के बिन्दु कमांक 3 में यह लेख किया गया था, कि "यह प्रतिनियुक्ति प्रारम्भ में 02 वर्ष के लिए होगी जिसे कार्य व्यवहार की गुणवत्ता के सम्पादन के आधार पर आगामी 02 वर्ष के लिए प्रतिनियुक्ति पर नये जन्म अधिकारी द्वारा बढ़ाया जा सकता है। उक्त कालावधि के पूर्ण होने के अनन्त प्रतिनियुक्ति किसी भी स्थिति में आगे नहीं बढ़ाई जायेगी। अतः वर्ष 2011 एवं 2012 से जिलों में विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक एवं जनशिक्षक के पदों पर कार्यरत ऐसे अध्यापक भर्णा के कर्मचारी, जिनकी प्रतिनियुक्ति अवधि (04 वर्ष) शीघ्र पूर्ण होने वाली है, की सेवाये उनके मूल विभाग को लौटाये जाना होगी।

4/ राज्य शिक्षा केन्द्र शिक्षा विभाग के आदेश कमांक एफ 27-54/2012/20-2 भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2013 द्वारा राज्य शिक्षा सेवा का गठन किया गया है, जिसमें उप विकासखण्ड स्तर की पद संरचना में कुल 6200 जनशिक्षक के पदों से जनशिक्षक के 850 पद ए.ई.ओ. में

समायोजित किये गये हैं। अतः वर्तमान में 21 विद्यालयों पर 01 पद के मान से जनशिक्षकों की पदस्थापना की जानी होगी।

5/ भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा सर्वशिक्षा अभियान मिशन की वार्षिक कार्ययोजना वर्ष 2015-16 में प्रति विकासखण्ड स्रोत केन्द्र कार्यालय हेतु 05 पद के मान से 1610 विकासखण्ड-अकादमिक समन्वयक के पद एवं प्रति जनशिक्षा केन्द्र कार्यालय में 18 शालाओं पर 01 पद के मान से 5556 जनशिक्षक के पद स्वीकृत किये गये हैं, परन्तु कण्डिका 4 में वर्णित स्थिति अनुसार कुल घटने 5320 पदों तक ही सीमित रखा जाएगा।

6/ जिले में वर्तमान में विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक एवं जनशिक्षक के पद एवं इन पदों पर प्रतिनियुक्ति अवधि 04 वर्ष पूर्ण होने वाले कर्मचारियों की सेवाये उनके मूल विभाग वापिस किये जाने के उपरान्त रिक्त होने वाले पदों पर घटने हेतु निम्नानुसार अर्हताएं एवं प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जाएगी:-

पद:- विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक एवं जनशिक्षक
पद की अर्हता

> उच्च श्रेणी शिक्षक/अध्यापक

> आयु - दिनांक 1.1.2015 को 49 वर्ष से अधिक न हो।

> संबंधित के विरुद्ध कोई विभागीय जांच अपराधिक प्रकरण एवं लम्बे समय से लगातार अनुपस्थिति की शिकायत आदि प्रचलित न हो।

> प्रतिनियुक्ति/ निर्देशन अवधि- अधिकतम चार वर्ष।

चयन प्रक्रिया

> घटने हेतु प्राचार्य, डाईट, जिला परीक्षेज्जा समन्वयक, जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग द्वारा नामांकित प्रतिनिधि एवं सहायक परियोजना समन्वयक(अकादमिक) की चयन समिति गठित की जाए। समिति में जिले के कलेक्टर द्वारा भी अपना प्रतिनिधि नामांकित किया जाएगा।

> जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग/मुख्य कार्यालय अधिकारी जिला पंचायत/मुख्य नगरपालिका/नगर पंचायत अधिकारी/आयुक्त नगर निगम से उपरोक्तानुसार अर्हताये पूर्ण करने वाले ऐसे उच्च श्रेणी शिक्षक/अध्यापक की सूची दिनांक 18.11.2015 तक प्राप्त की जाए।

> समिति द्वारा जिले में स्कूल शिक्षा विभाग/आदिवासी विकास विभाग में कार्यरत गणित/विज्ञान विषय समूह तथा कला विषय समूह के ऐसे उच्च श्रेणी शिक्षक/अध्यापक जिनके विरुद्ध कोई गंभीर अनियमितता की कार्यवाही प्रचलित न हो तथा जो पूर्व में

17

विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक एवं जनशिक्षक के पद पर कार्यरत न रहे हों, की पृथक-पृथक विषय समूहवार उच्च श्रेणी शिक्षकों हेतु वरिष्ठता के आधार पर एवं अध्यापक संदर्भ हेतु एजुकेशन पोर्टल द्वारा नियुक्ति दिनांक के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावे। सूची में उच्चश्रेणी शिक्षक वरीयता क्रम में ऊपर रखे जायें तथा जिले में विकास खण्ड अकादमिक समन्वयक एवं जनशिक्षक के पदों की संख्या की तिगुनी संख्या की सूची तैयार की जावे। यह सूची जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालय के सूचना पटल पर दिनांक 27/11/2015 को चरपा की जावे। वरीयता सूची में विकास खण्ड अकादमिक समन्वयक एवं जनशिक्षक के पदों की संख्या की दोगुनी संख्या तक शामिल उच्च श्रेणी शिक्षकों/अध्यापकों को 10/12/2015 को काउंसिलिंग हेतु जिला स्तर पर स्थल नियत कर आमंत्रित किया जाए।

- सूची में सम्मिलित व्यक्तियों द्वारा विकास खण्ड अकादमिक समन्वयक/जन शिक्षक की वरीयता सूची आदि के संबंध में आपत्ति संबंधी अभ्यावेदन दिनांक 04/12/2015 तक जिला परियोजना समन्वयक तथा जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को किये जायें।
- चयन हेतु गठित समिति द्वारा प्राप्त अभ्यावेदनों का निराकरण करते हुए दिनांक 07/12/2015 तक अंतिम वरीयता सूची जिला शिक्षा केन्द्र कार्यालय के सूचना पटल पर चरपा की जावे तथा नये नामों को भी 10/12/2015 को आयोजित होने वाली काउंसिलिंग में शामिल होने हेतु आमंत्रित किया जावे।
- वरीयता सूची अनुसार दिनांक 10/12/2015 को वरीयता क्रम में बुलाये हुए काउंसिलिंग के माध्यम से पदस्थापना स्थल तय कर अंतिम चयन सूची प्रकाशित की जावे। काउंसिलिंग में अध्यापक द्वारा पदस्थापना स्थल का चयन अपनी पदस्थापना वाले निकाय अन्तर्गत ही किया जा सकेगा। काउंसिलिंग हेतु नियत संलग्न प्रारूप में पंजी में जानकारी दर्ज कर अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर अवश्य प्राप्त किये जाएं।
- काउंसिलिंग उपरान्त चयनित अभ्यर्थियों का सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के प्रति उन्मुखीकरण दिनांक 10/12/2015 को जिला परियोजना समन्वयक द्वारा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से किया जावे।
- चूंकि विकास खण्ड अकादमिक समन्वयक का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण विकास खण्ड है, और तबत पद हेतु अधिक अनुभव एवं वरिष्ठ शिक्षकों को जल्द से जल्द नियुक्त किया जाना जरूरी है। अतः उपरोक्तानुसार तैयार की गई सूची से प्रथमतः विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक के पदों

18

19

की पूर्ति की जावे, तदोपरान्त इसी सूची से निचले क्रमानुसार जनशिक्षक का नाम निर्देशन किया जावे।

- विकास खण्ड अकादमिक समन्वयकों की पदस्थापना के उपरान्त शेष उच्च श्रेणी शिक्षक/अध्यापक से काउंसिलिंग के माध्यम से वरीयता क्रमानुसार केवल विकास खण्ड अकादमिक समन्वयक अथवा केवल जन शिक्षक अथवा विकास खण्ड अकादमिक समन्वयक एवं जन शिक्षक दोनों के लिए सहमति प्राप्त की जावे। केवल विकास खण्ड अकादमिक समन्वयक हेतु प्राथमिकता देने वाले तथा जन शिक्षक एवं विकास खण्ड अकादमिक समन्वयक दोनों पदों के लिये सहमति देने वाले उच्च श्रेणी शिक्षक/अध्यापक को विकास खण्ड अकादमिक समन्वयक पद हेतु वरीयता क्रम में प्रतीक्षा सूची में भी रखा जाए। इस प्रकार इस सूची में चयनित जन शिक्षकों का नाम भी हो सकेगा। जिससे भविष्य में किसी कारणों से विकास खण्ड अकादमिक समन्वयक का पद रिक्त होने पर प्रतीक्षा सूची से पद पूर्ति की कार्यवाई की जा सके। इसी प्रकार जन शिक्षकों की भी पद संख्या अनुरूप पद पूर्ति होने के उपरान्त शेष पात्र कर्मचारियों की वरीयता क्रम में सहमति के आधार पर प्रतीक्षा सूची तैयार की जाए और किन्हीं कारणों से पद रिक्त होने पर इसी सूची में पदस्थापना की कार्यवाही की जावे।
- विकास खण्ड अकादमिक समन्वयक के पदस्थापना आदेश एवं जन शिक्षकों के नाम निर्देशन संबंधी उच्च श्रेणी शिक्षकों के आदेश जिला शिक्षा केन्द्र द्वारा कलेक्टर के अनुमोदन/हस्ताक्षर से जारी किये जायें एवं अध्यापकों के आदेश संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/मुख्य नगरपालिका/नगर पंचायत अधिकारी/आयुक्त नगर निगम के द्वारा जारी किये जायें।
- पद ग्रहण करने के उपरान्त संबंधित विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक तथा जनशिक्षक का तत्काल सर्व शिक्षा अभियान के मद से विकास खण्ड स्रोत समन्वयक के द्वारा ही आह्वित किया जावे।
- जिलों में विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक के पदों पर पूर्व से सदस्यता आधार पर कार्यरत (अनुमानित 81) कर्मचारियों को छोड़कर ही शेष पदों पर पदस्थापना की कार्यवाई की जावे।
- प्रति विकासखण्ड स्रोत केन्द्र कार्यालय हेतु विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक के 05 स्वीकृत पदों में से 02 विज्ञान संकाय, 02 भाषा जिसमें से 01 अनिवार्य रूप से अंग्रेजी और 01 सामान्य विज्ञान संकाय का होना अनिवार्य है।

9

10

11

> आदिमजाति कल्याण विभाग में कार्यरत उच्च श्रेणी शिक्षकों की सेवायें लिये जाने के स्थिति में उन्हें आदिवासी विकासखण्डों में ही विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक/ जनशिक्षक के पद पर पदस्थ किया जाए।

> अध्यापक संवर्ग की सेवायें प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने पर म0प्र0शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 1-45/2010/20-1 दिनांक 26.12.2011 में उल्लेखित सेवा शर्तें लागू होंगी।

> वर्तमान में विकास खण्ड अकादमिक समन्वयक एवं जन शिक्षक के पदों पर प्रतिनियुक्ति अवधि पूर्ण कर चुके कार्यचारियों की पदस्थापना म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक/ एफ-1- 15/2010/20-1 भोपाल दिनांक 20.5.2010 द्वारा अतिशेष शिक्षकों की पदस्थापना हेतु जारी गी.वि. अनुसार काउंसिलिंग के माध्यम से की जावे।

(दीप्ति सिंह मुकुर्जी)
आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल, दिनांक 20.12.11

पृष्ठ क्रमांक/राशिके/नियु./2015/
प्रतिलिपि :-

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग नध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. आयुक्त, नगर निगम, समस्त नगर निगम की ओर सूचनार्थ।
7. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त जिलों की ओर सूचनार्थ।
8. मुख्य नगर पालिका अधिकारी समस्त नगर पालिका की ओर सूचनार्थ।
9. नगर पंचायत अधिकारी समस्त नगर पंचायत की ओर सूचनार्थ।
10. जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त, समस्त जिले की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. ड्राईट प्राचार्य, समस्त जिले की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. जिला परिवोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केन्द्र, समस्त जिले (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त
राज्य शिक्षा केन्द्र
20/12

विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक एवं जनशिक्षक पद हेतु तथा स्थल चयन हेतु आयोजित काउंसिलिंग संबंधी प्रपत्र										
स. क्र.	अभ्यर्थी का नाम	पद एवं वर्तमान पदस्थापना स्थल	यूनिक आई.डी.	वरीयता सूची में क्रम संख्या	पद नाम जिसके लिए सहमति दी गई है।	काउंसिलिंग के आधार पर पदस्थापना स्थल, जिसके लिए सहमति दी गई है।		हस्ताक्षर	रिमांक	
						विकासखण्ड अकादमिक समन्वयक	जन शिक्षक		विकास खण्ड का नाम	जन शिक्षा केन्द्र का नाम
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.

नोट- 1) यदि अभ्यर्थी द्वारा विकास खण्ड अकादमिक समन्वयक एवं जन शिक्षक के दोनों पदों के लिये सहमति दी गई है, तो कॉलम 6 से 9 तक में दोनों पदों एवं पदस्थापना स्थलों की जानकारी अंकित की जावे।
2) काउंसिलिंग उपरांत पंजी के अंत में उपस्थित रहे अधिकारियों का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर अवश्य प्राप्त किये जायें। पंजी के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर प्राप्त किये जाए।

कार्यालय, आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र

(स्कूल शिक्षा विभाग)

बी-विंग, पुस्तक भवन, भोपाल, म.प्र.

कं./रा.शि.के./सतर्कता-विधि/न्याया/2016/1990

भोपाल, दिनांक-14 मार्च 2016

आदेश

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का अधिनियम संख्या कं0 5 के आदेश सत्ताईस के नियम 1 तथा 2 के अधीन तथा म0प्र0 शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश कं0एफ-16/517/97/वि0प्र0/20, दिनांक 28.1.99 द्वारा आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्य प्रदेश को प्रत्यायोजित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए जिला परियोजना समन्वयक, भिण्ड को न्यायालयीन प्रकरण कमांक 658/2016 द्वारा श्री देवेश सिंह भदोरिया विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य में प्रभारी अधिकारी बनाया जाकर माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवक्तों पर हस्ताक्षर करने और उन्हें सत्यापित करने के लिए तथा कार्य करने आवेदन करने और उपसंज्ञात होने के लिए प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करते हैं। प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि मध्य प्रदेश विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त यह अपनी नियुक्ति के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ ऐसी रीति में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये निम्नलिखित कार्य करेगा:-

1. प्रभारी अधिकारी मामले के तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा जैसी कि आवश्यक हो और याचिका में उठये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता/शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना है, रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से निर्दिष्ट रूप से की जाएगी।
2. समस्त सुसंगत फाइलें दस्तावेज नियम अधिसूचनाएँ तथा आदेश एकत्रित करेगा।
3. वाद-पत्र/याचिका में उठये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनसे कि शासकीय अभिभाषक को सहायता पहुँचाने की संभावना हो एक रिपोर्ट तैयार करेगा।
4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
5. शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन/उत्तर तैयार करवायेगा।
6. प्रभारी अधिकारी निम्नलिखित कागज पत्र भेजेगा :-
(क) वाद-पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
(ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।
(ग) उन सभी दस्तावेजों की एक सूची जिन्हें साक्ष्य स्वरूप फाइल करना प्रस्तावित है और जिनकी प्रस्तुत रिपोर्ट में अपेक्षा की गई है।
(घ) मामले के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पत्रों की प्रतियाँ। इसमें बाद की सुनवाई की तारीख वर्णित होनी चाहिए।
7. मामले की तैयारी और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना और मामले उसके प्रक्रम और प्रगति में नियत किए गए कर्तव्यों से स्वयं को सदैव ही अवगत रखना।
8. जब भी कोई आदेश/निर्णय विशिष्टतया मध्य प्रदेश राज्य के विरुद्ध धारित किया गया जाता है तब विधि विभाग को सूचित करना तथा उसकी प्रमाणित प्रति करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
9. अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश/निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्रवाई किए जाने के लिए इस विभाग को भेजना।
10. यह देखना कि आवेदन करने में क्या प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करें, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देने में समय नष्ट नहीं हो।
11. जैसे ही उसे अपना स्थानान्तर आदेश प्राप्त होता है वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा। वह वर्तमान पद का भार सौंप देने के पश्चात् तब तक प्रभारी अधिकारी बना रहेगा जब तक कि अन्य प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाए।
12. प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने में शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य या दस्तावेज अप्रकटित/छुपी हुई न रह जाए।

13. प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का विनिश्चय होता है परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार ही करेगा। निर्णय की एक प्रति अभिप्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
14. प्रभारी अधिकारी या यदि लोक अभियोजक मुकर्रर है तो वह इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहाँ किसी वाद प्रक्रम में पारित किए गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है, समय पर कार्रवाई की गई है। अतएव वह उस आदेश की प्रति जैसे ही वह पारित किया जाए विभागाध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा के साथ सरकार (प्रशासकीय विभाग) को अग्रेषित करें।

(दीप्ति मीर मुकजी)

आयुक्त 9/3
राज्य शिक्षा केन्द्र

मध्य प्रदेश

भोपाल, दिनांक-14 मार्च 2016

पृष्ठ.कं./रा.शि.के./सतर्कता-विधि/न्याया/2016/1991

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।
3. अति. महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर को न्यायालयीन प्रकरण कमांक डब्ल्यू.पी. 658/2016 द्वारा श्री देवेश सिंह भदोरिया विरुद्ध मध्य प्रदेश शासन एवं अन्य के संबंध में सूचनार्थ।
4. जिला परियोजना समन्वयक, भिण्ड की ओर पालनार्थ। कृपया नियत समय में जवाबदावा प्रस्तुत कर इस कार्यालय को अवगत करावें।
5. जिला परियोजना समन्वयक एवं नोडल अधिकारी, जिला शिक्षा केन्द्र, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ।

(अ.प्र.का.)
राज्य शिक्षा केन्द्र

मध्य प्रदेश